

पंजीकरण

06.02.2014

से

06.03.2014

तक



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा कानपुर में

सेमी फिनिशड भवन प्राप्त करने का

सुनहरा अवसर

सेमी फिनिशड भवनों का विवरण

क्र. सं.	सेक्टर सं.	भवनों का प्रकार	भवनों की प्रस्तावित संख्या	अनुमानित विक्रय मूल्य (रु. लाख में)	प्रस्तावित पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)		सम्पत्ति श्रेणी कोड
					सामान्य वर्ग	आरक्षित वर्ग	
केशवपुरम योजना संख्या-1, कानपुर							
1.	एन	45 / 72 सेमी फिनिशड अल्प आय वर्ग	10	22.82	1.15	0.58	01
डॉ. अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3, कानपुर							
1.	7	45 / 75 सेमी फिनिशड अल्प आय वर्ग	38	20.24	1.02	0.51	02
हंसपुरम योजना सं.-2, नौबस्ता, कानपुर							
1.	6 बी	29 / 60 सेमी फिनिशड अल्प आय वर्ग	70	13.11	0.66	0.33	03
2.	6 बी	42 / 108 सेमी फिनिशड मध्यम आय वर्ग	20	21.35	1.07	0.54	04
3.	6 बी	63 / 162 सेमी फिनिशड उच्च आय वर्ग	69	31.74	1.60	0.80	05
4.	6 बी	128 / 200 सेमी फिनिशड उच्च आय वर्ग	59	49.84	2.50	1.25	06

किश्तों में भुगतान विकल्प

- ♦ अल्प आय वर्ग भवन : आवंटन के पश्चात 30% एक माह में व शेष धनराशि 12 वर्षों की सब्याज मासिक किश्तों में।
- ♦ मध्य आय वर्ग भवन : आवंटन के पश्चात 40% एक माह में व शेष धनराशि 10 वर्षों की सब्याज मासिक किश्तों में।
- ♦ उच्च आय वर्ग भवन : आवंटन के पश्चात 50% एक माह में व शेष धनराशि 10 वर्षों तक की सब्याज मासिक किश्तों में।

एक मुश्त भुगतान विकल्प

- ♦ आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत होने पर भवन के मूल्य का 3 माह में भुगतान करना होगा एवं भूखण्ड के कुल मूल्य का 2 माह में भुगतान करना होगा।
- ♦ आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से 30 दिन के अन्दर सम्पत्ति के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर भवनों में कुल मूल्य का 2% की छूट की विशेष सुविधा।

पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त एवं जमा करने हेतु निर्धारित बैंक

केशवपुरम योजना संख्या-1 एवं अम्बेडकरपुरम् योजना संख्या-3 : कल्यानपुर, कानपुर
बैंक ऑफ बड़ौदा : केशवपुरम् आवास विकास कालोनी, कल्यानपुर, कानपुर। शाखा प्रबन्धक : श्री एस.के. दुबे, मो. : 7800200422

हंसपुरम योजना संख्या-2 : नौबस्ता, कानपुर

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया : यशोदा नगर बाई पास, किदवई नगर, कानपुर। शाखा प्रबन्धक : श्रीमती सुधा वर्मा, मो. : 9918500714

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन-सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। डायल करें :

1800-180-5333 (टोल-फ्री) 0522-2236803

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700 : 2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.com> E-mail : upavp@sanchar.net.in

—: योजना के मुख्य आकर्षण :-

केशवपुरम योजना सं.-1 एवं डॉ. अम्बेडकरपुरम् योजना सं.-3, कानपुर

- ♦ जी.टी. रोड से मुख्य पनकी मार्ग पर
- ♦ कल्यानपुर रेलवे स्टेशन एवं अर्मापुर इस्टेट के क्षेत्र में
- ♦ पनकी पावर स्टेशन के निकट
- ♦ आई.आई.टी. राष्ट्रीय शर्करा संस्थान एवं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के निकट
- ♦ प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं के निकट
- ♦ समस्त अवस्थापना सेवायें एवं सामुदायिक सेवायें उपलब्ध
- ♦ सुगम यातायात हेतु कल्यानपुर रेलवे क्रासिंग पर रेलवे उपरगामी सेतु प्रस्तावित
- ♦ योजना से विजय नगर तक 150 फिट चौड़ा मुख्य मार्ग
- ♦ योजना में ईको पार्क का निर्माण

हंसपुरम योजना सं.-2, कानपुर

- ♦ चार लेन हाइवे से हमीरपुर रोड मुख्य मार्ग पर स्थित
- ♦ मण्डी परिषद के पास
- ♦ समस्त अवस्थापना सेवायें एवं सामुदायिक सेवायें उपलब्ध
- ♦ सुगम यातायात की सुविधा
- ♦ प्रदूषण मुक्त एवं हरित पट्टीयुक्त वातावरण।

नोट : उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ से रु. 500/- का भुगतान करके प्राप्त की जा सकती है। डाक द्वारा पंजीकरण पुस्तिका मंगाने पर डाक व्यय रु. 50/- अतिरिक्त देय होगा। पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंकों में ही जमा होंगे।

आवास आयुक्त

